


|        |  |   |
|--------|--|---|
| दिनांक | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज<br>शैल वल्लभ हरलाल वर्मा | नम्बर व तारीख<br>अहकाम जो इस<br>हुकम की तामील<br>में जारी हुए |
|--------|--|---|

५/१२/२५

पत्रावली पेश हुई। वारीगण एवं वारी आदि अनुपस्थित। वारीगण एवं वारी आधिकारिता को नियमानुसार तीन बार आवाजें लगवाई गईं, परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। वारीगण एवं वारी आदि को न्यायालय का समय समाप्त होने से पूर्व न्यायालय में ५:५० PM पर पुनः एक बार आवाजें लगवाई गईं, परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। वारीगण एवं वारी आधिकारिता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण वारीगण द्वारा उपलब्ध वार अन्तर्गत धारा १४८ शब्दात्मक कार्रवाई आधीनियम को अदम लागू की- अदम पेशी में खाली किया जाना है। पत्रावली में निर्णय सेट इवलाप सुनाना गणना पत्रावली में दिखी प्रतीत जारी है।

पत्रावली में लाल शुभर होकर  
कार्यवाही लाल लाल से कर ली

  
५/१२/२५  
सहायक कलक्टर  
शीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

**न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा**

पीठासीन अधिकारी-अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. भैरू पिता प्रताप जाति गुर्जर, आयु बालिग, निवासी गून्दली तह0 एवं जिला, भीलवाड़ा
2. जोधा पिता प्रताप जाति गुर्जर, आयु बालिग, निवासी गून्दली तह0 एवं जिला, भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. हर लाल पिता हजारी जाति गुर्जर आयु बालिग निवासी गून्दली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. भैरू लाल पिता हरलाल जाति गुर्जर आयु बालिग निवासी गून्दली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. जैता पिता कालू जाति गुर्जर आयु बालिग निवासी गून्दली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. शंभुलाल पिता रामा जाति गुर्जर आयु बालिग निवासी गून्दली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. नारायण पिता भोजा जाति गुर्जर आयु बालिग निवासी गून्दली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. देवा पिता हर लाल, जाति गुर्जर आयु बालिग निवासी गून्दली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. जगन्नाथ पिता हरलाल जाति गुर्जर आयु बालिग निवासी गून्दली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
8. लालु पिता रघुराज जाति गुर्जर आयु बालिग निवासी गून्दली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
9. बी0आर0जी0बी0, बैंक शाखा कारोईकलां जरिये प्रबंधकर बीआरजीबी बैंक, कारोईकलां जिला भीलवाड़ा
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा


प्रतिवादीगण

**दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

प्रकरण संख्या 25/2018 राजस्व वाद

वादीगण स्वयं एवं वादी अधिवक्ता श्री हरदयाल वर्मा उपस्थित नहीं - इस वाद में आज तारीख 05.12.2024 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है-

वादीगण एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी / अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

  
(अरुण कुमार जैन)  
सहायक कलक्टर  
भीलवाड़ा